न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर
पीठासीन अधिकारी सुभाष कुमार आरएएस

ण सं0 –203 / 19

1. गुरवीर सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति रामगढिया निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम — वादी

1. जसवीर सिंह पुत्र रामवीर सिंह जाति रामगढिया निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. रामवीर सिंह पुत्र जगीर सिंह जाति रामगढिया निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. समनदीप कौर पुत्री जसवीर सिंह जाति रामगढिया निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53,88, आरटीए

निर्णय

दिनांकः– 24/10/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पदमपुर तहसील के चक 7 सीसी की ाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 39 / 31 के मुरबा नं0 12 का किला नं0 16 25 / 2.530 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी) 1 के तीन वारिस है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 है। प्रतिवादी सं0 2 वादी ा दादा है प्रतिवादी सं0 1 को उक्त भूमि अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें झ वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी । प्रतिवादी सं0 3 मुझ वादी की बहिन है जो उक्त वादाधीन भूमि मे से अपना हिस्सा प्त करना नही चाहती तथा प्रतिवादी सं0 2 जो मुझ वादी का दादा है जिनके नाम न्य चकों में कृषि भूमि है इसलिए प्रतिवादी सं0 2 भी उक्त वादाधीन भूमि में से अपना स्सा प्राप्त करना नहीं चाहते है। इसलिए उक्त वादाधीन भूमि में मुझ वादी का तिवादी सं0 1 से साथ 1/2 हिस्सा बनता है। जिसमें मैं प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। झ वादी के पास मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 से 20 / 1.265 है0 रकबा है। जो मेरे ब्जा काश्त है और उक्त किला नम्बर मैं अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना ाहता है। आज से लगभग 4–5 रोज पूर्व जब मैंने प्रतिवादी सं0 1 को भूमि अपने नाम करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं0 1 इन्कार हो गया यही इन्कारी ही वाद कारण है। वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार से डिग्री

Scanned by CamScanner

जावें। प्रतिवादी सं0 1 के नाम पदमपुर तहसील के चक 7 सीसी की जमाबन्दी वत 2070 2073 के खाता सं0 39/31 के मुरबा नं0 12 का किला नं0 16 ता 2.530 है0 नहरी भूमि में से मुझ वादी को प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ 1/2 से का खातेदार मालिक घोषित किया जावें व मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 1.265 है0 नहरी भूमि के किलावाईज विभाजन की डिक्री पारित की जावें व रकबा ग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया ा। प्रतिवादीगण व वादी स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ा पदमपुर तहसील के चक 7 सीसी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 /31 के मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 नहरी भूमि में से वादी प्रतिवादी सं0 1 के साथ–साथ 1/2 हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किया ता हैं व मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 20 की 1.265 है0 नहरी भूमि की लेवाईज विभाजन की डिक्री पारित की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उजर एतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। जीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर किला वाईज विभाजन व खातेदार मालिक ोषित किया जाता है। तहसील पदमपुर के चक 7 सीसी की जमाबन्दी सम्वत 070–73 के खाता सं0 39/31 के मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 25 की 2.530 0 नहरी भूमि में से वादी गुरवीर सिंह पुत्र जसवीर सिह जाति रामगढिया को प्रतिवादी ं0 1 जसवीर सिह पुत्र रामवीर सिंह जाति रामगढिया के साथ–साथ 1/2 हिस्सा का ातेदार मालिक घोषित किया जाकर मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 20 की 1.265 0 नहरी भूमि की किलेवाईज विभाजन की डिक्री पारित की जाती हैं। यदि उक्त भूमि क में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की ्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन थावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति हसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/10/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.12 12:11:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: